परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें। परीक्षार्थी को परीक्षा में औपबन्धिक (Provisional) रूप से प्रवेश दिया गया है। परीक्षार्थी केवल इस तथ्य से कि उसे परीक्षा में बैठने के लिये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ न लगाएँ कि आयोग द्वारा उसे परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार परीक्षा हेतु पात्र नहीं है तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
2. परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलंब तक आने वाले परीक्षार्थी को स्वविवेक से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट उपरांत किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/अन्य परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रो की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र लेगा और न लेने का प्रयास करेगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को संगत नियमों–अधिनियमों आदि के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
4. परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/ केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे, कार्रवाई की जा सकती है।
5. केन्द्राधीक्षक/वीक्षक या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते है, जिसमें परीक्षार्थी को पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
6. परीक्षा समय प्रारंभ होने की सूचना एक घंटी बजा कर दी जायेगी । तत्पश्चात् वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरित किये जायेंगे। परीक्षार्थी प्राप्त प्रश्न पत्र का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र एवं उत्तर–पुस्तिका के पृष्ठ पूर्ण हैं तथा किसी प्रकार की कोई मुद्रण त्रुटि नहीं है एवं सम्बन्धित विषय का ही प्रश्न–पुस्तिका प्राप्त है। सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र एवं OMR (Optical Mark Recognition) युक्त उत्तर–पत्रक के पार पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर पालन करें।
7. उत्तर–पुस्तिका के साथ प्रदत्त फ्लैप स्टीकर को अभ्यर्थी पार्ट–I में वांछित विवरणी को भरने के पश्चात् अनिवार्य रूप से ढंक देंगे, अन्यथा अभ्यर्थी की पहचान के कारण ऐसी उत्तर–पुस्तिका रद्द कर दी जाएगी।
8. परीक्षा समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले चेतावनी की घंटी बजेगी और दूसरी घंटी बजने पर (परीक्षा समय समाप्त होने पर) परीक्षार्थी को किसी प्रकार का लेख व सुधार नहीं करने दिया जाएगा।
9. परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक वीक्षक को सौंप दें, तत्पश्चात् वीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
10. परीक्षा कक्ष में प्रवेश उपरांत समय शुरू होने से आधा घंटे तक परीक्षार्थी को शौच आदि हेतु परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, तत्पश्चात् पूर्ण परीक्षा समय तक परीक्षार्थी एक बार वीक्षक की अनुमति से लघुशंका हेतु जा सकेगा।
11. आयोग द्वारा परीक्षा सामान्यतया कार्यक्रमानुसार ही आयोजित की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में आयोग परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर परिवर्त्तन कर सकता है।
12. परीक्षा में बैठने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, चाय व पान आदि का प्रयोग वर्जित है।

परीक्षा कक्ष में **परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य अनुदेश–**

(क) परीक्षार्थी अपने जेब, डेस्क आसपास के स्थानों को भलीभांति देख लें कि वहां कोई पुस्तक, पर्चा अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र,उपस्थिति पत्रक एवं आयोग के निर्गत अनुदेश की प्रति छोड़कर अन्य कोई अवांछित सामग्री नहीं होनी चाहिए। यदि भूलवश उसके साथ अथवा आसपास ऐसी सामग्री है तो वह सूचित करे अन्यथा बाद में इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।

(ख) परीक्षार्थी ओ0 एम0 आर0 मुखपृष्ठ युक्त उत्तर–पुस्तिका (Answer Booklet) Part-I, एवं Part-III पर निश्चित कॉलम्स यथा अनुक्रमांक, केन्द्र संख्या, विषय–कोड, पेपर–कोड संख्या की प्रविष्टि सुस्पष्ट करें तथा Part-III पर दिये अनुदेशों को पढ़ लें तथा अपना अनुक्रमांक एवं केन्द्र संख्या, विषय–कोड, पेपर–कोड संगत गोले का छायांकन काला अथवा नीला बॉल प्वाइंट पेन द्वारा सही–सही करें। ध्यान रखें कि गलत प्रविष्टि, व्हाइटनर का प्रयोग, छायांकन में छेड़छाड के कारण मशीन द्वारा ऐसा उत्तर–पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जायेगी।

(ग) उत्तर–पुस्तिका का कोई पन्ना खाली नहीं छोड़ा जाए यदि कोई पन्ना खाली रह जाए तो उसे क्रास (X) कर दिया जाय।

(घ) यदि प्रश्न–पत्र एक से अधिक भाग का हो तो एक भाग के प्रश्न दूसरे भाग के प्रश्न के साथ नहीं मिलाया जाय।

(ड.) यदि भाषेत्तर वैकल्पिक विषयों के हिन्दी अनुवाद में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी अंग्रेजी अनुवाद में दिए गए प्रश्न के आधार पर उत्तर देंगे।